प्रेस नोट दिनांक 01.05.2025 जनपद प्रतापगढ़

थाना कुण्डा-

बीट आरक्षी के सतर्कता से 01 गैंगस्टर गिरफ्तार
थाना संग्रामगढ़ के आरक्षी ने गैंगस्टर अभियुक्त पर कसा शिकंजा
आरक्षी आनन्द यादव ने साये की तरह बिछाए रखी अपनी पैनी नजर
एसपी द्वारा अपराधी की पतारसी सुरागरसी के लिये थाना संग्रामगढ़ के आरक्षी आनन्द यादव को दिया जाएगा प्रशस्ति-पत्र
थाना संग्रामगढ़ क्षेत्रान्तर्गत मुराईन का पुरवा कुसेमर से गैंगस्टर पिन्टू सरोज उर्फ वीरेन्द्र सरोज गिरफ्तार
गिरफ्तार गैंगस्टर अभियुक्त गैर इरातन हत्या, हत्या का प्रयास, लूट, गैंगस्टर एक्ट जैसे संगीन अपराधों में अभ्यस्त

जनपद में अपराध नियंत्रण/ संगीन धाराओं में संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु बीट पुलिसिंग प्रणाली को मजबूत किया जा रहा है।

इसी क्रम में बहादुर आरक्षी आनन्द यादव के सहयोग से थाना कुण्डा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0111/2025 धारा 2/3 उ0प्र0 गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 में 01 वांछित अभियुक्त पिन्टू सरोज उर्फ वीरेन्द्र सरोज पुत्र छेदीलाल निवासी ग्राम मुराईन का पुरवा कुसेमर थाना संग्रामगढ़ जनपद प्रतापगढ़ को उसके घर के पास से गिरफ्तार किया गया।

गैंगस्टर एक्ट के गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
पिन्टू सरोज उर्फ वीरेन्द्र सरोज पुत्र छेदीलाल निवासी ग्राम मुराईन का पुरवा कुसेमर थाना संग्रामगढ़ जनपद प्रतापगढ़।

आपराधिक इतिहास-
अभियुक्त पिन्टू सरोज उर्फ वीरेन्द्र सरोज पुत्र छेदीलाल निवासी ग्राम मुराईन का पुरवा कुसेमर थाना संग्रामगढ़ जनपद प्रतापगढ़ का आपराधिक इतिहास-
1-मु0अ0सं0 109/2020 धारा 147/323/504/506/427 भादवि थाना संग्रामगढ़ जनपद प्रतापगढ़।
2-मु0अ0सं0 178/2020 धारा 147/308/307 /323/504/506 भादवि थाना संग्रामगढ़ जनपद प्रतापगढ़।
3-मु0अ0सं0 211/2023धारा 392/411 भादवि थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़।
4- मु0अ0सं0111/2025 धारा 2/3 उ0प्र0 गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986।

थाना दिलीपपुर-

01 राशि बकरा चोरी करने वाला 01 शातिर अभियुक्त थाना दिलीपपुर पुलिस की गिरफ्त में, चोरी का 01 राशि बकरा बरामद।
पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डा0 अनिल कुमार का अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ कड़ा एक्शन जारी

थाना दिलीपपुर पुलिस द्वारा थानाक्षेत्र के ग्राम रसोईया आँवला बाग के पास से अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

घटना का संक्षिप्त विवरण-
आरोपी द्वारा वादी का बकरा चोरी कर भाग जाने के प्रकरण में थाना दिलीपपुर पर मु0अ0सं0 71/25 धारा 303 (2) बीएनएस बनाम अज्ञात का अभियोग पंजीकृत किया गया।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डा0 अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रियाकलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी) श्री दुर्गेश कुमार सिंह के मार्ग दर्शन व क्षेत्राधिकारी पट्टी श्री मनोज कुमार सिंह रघुवंशी द्वारा अपराध एवं अपराधियों की रोकथाम/ अंकुश लगाने हेतु दिये गये निर्देश के क्रम में थाना दिलीपपुर थानाध्यक्ष श्री शत्रुधन वर्मा के नेतृत्व में उ0नि0 विवेक यादव व उ0नि0 दुर्गेश कुमार मय हमराह का लक्ष्मण सिंह, का0 स्वामीनाथ, पीआरडी महेश रजक, पीआरडी अरविन्द पाण्डेय द्वारा देखभाल क्षेत्र, तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान मूखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 71/25 धारा 303 (2) बीएनएस व बढोत्तरी धारा 317 (2) बीएनएस से संबंधित 01 अभियुक्त 1. संतोष पटेल पुत्र संजय पटेल निवासी पुरे देवजानी थाना कन्धई जनपद प्रतापगढ़ को 01 राशि बकरा के साथ थानाक्षेत्र के ग्राम रसोईया आँवला बाग के पास से गिरफ्तार किया गया।

उक्त गिरफ्तारी/ बरामदगी के आधार पर अभियोग उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की बढोत्तरी की गई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
1. संतोष पटेल पुत्र संजय पटेल निवासी पुरे देवजानी थाना कन्धई जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी का विवरण-
चोरी का 01 राशि बकरा बरामद।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-
उ0नि0 विवेक यादव व उ0नि0 दुर्गेश कुमार मय हमराह का लक्ष्मण सिंह, का0 स्वामीनाथ, पीआरडी महेश रजक, पीआरडी अरविन्द पाण्डेय थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ़।

थाना आसपुर देवसरा-
प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा लगातार अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी
अभियुक्तों द्वारा डण्डे व धारदार हथियार से मारपीट कर हत्या करने से संबंधित 02 अभियुक्त गिरफ्तार
पुरानी रंजिश को लेकर की गई थी युवक की हत्या।
थाना आसपुर देवसरा पुलिस अभियुक्तों को धौरह्रा दलपतशाह चकमार्ग से गिरफ्तार किया गया।
गिरफ्तार अभियुक्तों की निशादेही पर हत्या में प्रयुक्त डण्डा व लोहे का बाका बरामद।

घटना का संक्षिप्त का विवरण-

दिनांक 29.04.2025 को थाना आसपुर देवसरा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम ग्राम पूरेदलपतशाह में एक खेत में क्रिकेट मैच के दौरान आरोपीगणों द्वारा वादी के भाई को डण्डा व लोहे के बाका से मारपीट कर घायल कर दिया। वादी के भाई की इलाज के दौरान मृत्यु हो जाने के प्रकरण में वादी की प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना आसपुर देवसरा में मु0अ0सं0 119 / 25 धारा 103 (1) / 3 (5) बीएनएस का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गये थे जिसके क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी) श्री दुर्गेश कुमार सिंह के नेतृत्व में एवं क्षेत्राधिकारी पट्टी श्री मनोज कुमार सिंह रघुवंशी के पर्वेक्षण में थाना आसपुर देवसरा थानाध्यक्ष श्री धीरेन्द्र ठाकुर मय हमराह उ0नि0 योगेन्द्र सिंह, उ0नि0 राजन कुमार बिन्द, हे0का0 भानू सिंह, हे0का0 पवन नायक, का0 कैलाश यादव, का0 प्रतीक कुमार, का० शिवम् सिंह द्वारा देखभाल क्षेत्र, तलाश अभियुक्त/वारण्टी, विवेचना के दौरान मुखबिर की सूचना पर 02 अभियुक्तों 1. अतुल सरोज उर्फ लाले पुत्र महेन्द्र सरोज, 2. शनि सरोज उर्फ नाटे पुत्र धर्मेन्द्र सरोज उर्फ पप्पू निवासीगण ग्राम पूरेदलपतशाह थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़ को थानाक्षेत्र आसपुर देवसरा के धौरह्वा दलपतशाह चकमार्ग से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों की निशादेही पर हत्या में प्रयुक्त डण्डा व लोहे का बाका बरामद किया गया।

पूछताछ का विवरणः-

गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि 29.04.2025 को हम दोनो लोगो ने इन्द्रजीत वर्मा पुत्र रामचरित्र वर्मा को डण्डे और बाका से मारे पीटे थे। जिससे वह बाद में मर गया। इसलिये हम लोग कही बाहर भागने के फिराक में थे। घटना में आलाकत्ल के सम्बन्ध में पूछा गया तो बताया कि डण्डा व लोहे का बाका जिससे हम लोग मारे पीटे थे। उसको दयालगंज से अमरगढ़ जाने वाले रोड़ के किनारे गयी नहर की झाड़ियो में पाठक के बगिया के पास छिपाकर रख दिये है। दोनो अभियुक्तों के साथ चलकर पाठक के बगिया के पास पहुचे दोनों अभियुक्तों ने कहा कि यही रोक दीजिये यही सड़क के किनारे नहर की झाड़ियो में छिपाये है। झाड़ियो में देखा गया तो झाड़ियो में अभियुक्त अतुल सरोज ने डण्डा उठाकर दिया तथा अभियुक्त शनि सरोज ने एक लोहे का बाका वही पास से उठाकर दिया। बरामद डंडे व लोहे के बाके पर सूखा रक्त लगा हुआ है। जिसके सम्बन्ध में पूछने पर अभियुक्तगण द्वारा बताया गया कि मारपीट में इन्द्रजीत को आयी चोट खून लगा है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1. अतुल सरोज उर्फ लाले पुत्र महेन्द्र सरोज निवासी ग्राम पूरेदलपतशाह थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़।
2. शनि सरोज उर्फ नाटे पुत्र धर्मेन्द्र सरोज उर्फ पप्पू निवासी ग्राम पूरेदलपतशाह थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी-

1-हत्या में प्रयुक्त डण्डा व लोहे का बाका बरामद

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

थानाध्यक्ष श्री धीरेन्द्र ठाकुर मय हमराह उ0नि0 योगेन्द्र सिंह, उ0नि0 राजन कुमार बिन्द, हे0का0 भानू सिंह, हे0का0 पवन नायक, का0 कैलाश यादव, का0 प्रतीक कुमार, का० शिवम् सिंह थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़।

थाना पट्टी-

01 अभियुक्त को जिला कारागार प्रतापगढ़ से पुलिस कस्टडी रिमांड पर लाया गया, जिसकी निशानदेही पर ग्राम बरहूपुर स्थित एक तालाब के पास झाड़ियों से घटना में प्रयुक्त 01 अवैध तमंचा 315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया-

अभियुक्त बीरबल द्वारा दिनांक 07.04.2025 को वादी मुकदमा पर जान से मारने की नियत से फायर किया गया था, जिसमें गोली वादी के दाहिने कंधे में लगी थी। जिसके संबंध में थाना पट्टी पर अभियोग पंजीकृत किया गया था।

आज दिनांक 01.05.2025 को पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 श्री अनिल कुमार के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक(पूर्वी) श्री दुर्गेश कुमार सिंह व क्षेत्राधिकारी पट्टी श्री मनोज कुमार सिंह रघुवंशी के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक पट्टी श्री अवन कुमार दीक्षित के नेतृत्व में थाना पट्टी पर पंजीकृत मु0अ0सं0 98/25 धारा 3(5)/109/333 बीएनएस से संबंधित अभियुक्त बीरबल पुत्र स्व0 भगवानदीन, निवासी बरहूपुर, थाना पट्टी, जनपद प्रतापगढ़ जो कि जिला कारागार प्रतापगढ़ में आत्मसमर्पण के पश्चात निरूद्ध है, जिसको पुलिस कस्टडी रिमांड पर थाना पट्टी के उ0नि0 सुनील कुमार राय मय हमराही का0 कृष्ण बिहारी राय एवं का0 गुलशन कुमार द्वारा प्राप्त किया गया।

पूछताछ के दौरान अभियुक्त बीरबल उपरोक्त की निशादेही पर दिनांक 01.05.2025 को ग्राम बरहूपुर स्थित एक तालाब के पास झाड़ियों से घटना में प्रयुक्त 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर बरामद किया गया।

बरामदगी उपरांत आवश्यक विधिक कार्यवाही पूर्ण कर अभियुक्त को पुनः जिला कारागार प्रतापगढ़ में दाखिल कराया जा रहा है।अभियोग उपरोक्त में धारा 3/25/27 आयुध अधिनियम की बढ़ोत्तरी की गई है।

अभियुक्त का विवरण-
अभियुक्त बीरबल पुत्र स्व0 भगवानदीन, निवासी बरहूपुर, थाना पट्टी, जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी-
अभियुक्त की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर बरामद किया गया।

पुलिस टीम का विवरण-
उ0नि0 सुनील कुमार राय मय हमराही का0 कृष्ण बिहारी राय एवं का0 गुलशन कुमार थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़।